

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- 4125-

दिनांक:- 04/04/23

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

U. B. No... **DLB2324SLOB00131**.....

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से काजरी परिसर के पास स्थित नगर निगम के डंपिंग स्टेशन की नियमित रूप से प्रतिदिन की सम्पूर्ण सफाई कार्य हेतु दो वर्ष के लिए अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण
दिनांक:-

क्रमांक:- 4126 to 4136

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6. सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
8. प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs, www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
9. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
10. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11. गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com) Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- ५१२५

दिनांक:- ०५/०५/२३

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	०५.०५.२०२३	०५ PM.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	०५.०५.२०२३	११ AM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	१७.०५.२०२३	०३ PM
निविदा शुल्क/घरोहर राशि/ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति अधिशाषी अभियन्ता गैरेज रुम न : १११ नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	१७.०५.२०२३	०३ PM
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	१८.०५.२०२३	११.०० AM

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	घरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)	कार्य की अवधि
१	नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में स्थित नगर निगम के डंपिंग स्टेशन (काजरी ढेर) की प्रतिदिन की सम्पूर्ण साफाई के कार्य हेतु दो वर्ष के लिए निविदा।	२००.०० लाख	४.०० लाख	५०००/-	२०००/-	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।

2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	5000 / -	डिमाण्ड ड्रॉप्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	4.00 लाख	डिमाण्ड ड्रॉप्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	2000 / -	डिमाण्ड ड्रॉप्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवाएं लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।


 आयुक्त
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण





कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:-

दिनांक:-

कार्य का नाम :- नगर निगम जोधपुर दक्षिण के काजरी डंपिंग स्टेशन की प्रतिदिन की सम्पूर्ण सफाई कार्य हेतु दो वर्षों के लिए दर अनुबन्ध

1 कार्य की परिभाषा :-

- 1.1 संवेदक को नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में काजरी परिसर के पास स्थित काजरी डंपिंग स्टेशन की प्रतिदिन की सम्पूर्ण सफाई करनी होगी।
- 1.2 संवेदक को काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक परिवहन करना होगा जिसके लिए (परिवहन कार्य हेतु) आवश्यकतानुसार उपयुक्त संख्या में 10-Wheeler हायवा (hyva tipper) डम्पर लगाने होंगे तथा हायवा (hyva tipper) डम्पर में काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा भरने हेतु आवश्यकतानुसार बैकहो लोडर/पौकलेण्ड मशीन की व्यवस्था संवेदक को ही करनी होगी। उपरोक्त सभी संसाधन (मशीन/वाहन) मय चालक, रखरखाव, संचालन एवं POL सहित लगाने होंगे।
- 1.3 कार्य की परिभाषा से आशय काजरी ढेर की नियमित रूप से सम्पूर्ण सफाई का कार्य सफल निविदादाता को करने से है। उपरोक्त कार्य हेतु दो वर्षों के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

2 निविदा प्रस्तुत करना :-

- 1 निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिक बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

“आयुक्त”

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

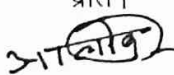
संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैंक्स, ई-मेल, फोन नम्बर अंकित करें):-

.....
.....
.....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेंगे :-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्कैन प्रति।







- 3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति।
- 3.3 फर्म का गत 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर 100.00 लाख रुपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा अंकक्षित बेलेंस सीट की स्कैन प्रति।
- 3.4 संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम कम से कम 2 Hyva डम्पर एवं एक बैकहो लोडर/पौकलेण्ड मशीन का पंजीकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी मशीनों/hyva डम्पर्स को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम पंजीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। सभी वाहन/मशीन RTO Norms के अनुसार होना आवश्यक है Norms के विपरित होने पर RTO द्वारा सिज किये जाने पर प्रति घटना 1000/- शास्ति वसूली जायेगी। और 2 घंटे के अन्दर संसाधन Replace करना होगा। चार घंटे तक संसाधन की व्यवस्था नहीं होने पर उस दिन का किराया भी देय नहीं होगा।
- 3.5 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- 3.6 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्कैन प्रति।
- 3.7 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्कैन प्रति।
- 3.8 निविदादाता के द्वारा RTTP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्कैन प्रति।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.8 तक निर्धारित तकनीकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड नहीं करने या अपलोड किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निविदा समिति निविदादाता से स्पस्टीकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. सामान्य शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जाकर तकनीकी बिड नहीं खोली जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई-प्रक्रिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम दक्षिण उत्तरदायी नहीं है।

(क) अज्ञीव

4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे संबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम-शर्तों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी। प्रस्तुत दरें सभी करो सहित होगी। लागू होने पर पृथक से जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहृत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वितीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से जमा करानी होगी। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि दो वर्षों की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियाँ होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :-
 - (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
 - (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि 1000000/- प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारंटी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
 - (ग) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
 - (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
 - (ङ) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है। (On the bases of risk cost)

(क)

अक्षय

7

- 14 कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए सफाई कार्य हेतु संसाधनों को लगाते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा जिनका परीक्षण गैरेज प्रभारी द्वारा किया जायेगा। सभी मशीन/वाहन शर्तों अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। वाहन निविदा शर्तों व Technical Specifications के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 15 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम के गैरेज शाखा कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- 16 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
- 17 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):**— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा—
- (क) जब निविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
- (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
- (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
- (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 18 निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
- (i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
- (ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
- (iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
- (iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 19 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि—
- (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
- (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
- (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 20 समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई— प्रोक्योरमेंट/SPPP पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम दक्षिण उत्तरदायी नहीं है।
21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
- 22 निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 23 सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- 24 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अ.ल.ग. 17

- 25 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित्त विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होंगे।
- 26 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
- 27 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5. वाहन व वाहन चालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

1. वाहन चालक अनुभवी एवं सम्बन्धित व्यावसायिक श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये।
2. वाहन को कोई अवकाश देय नहीं होगा। आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा।
3. वाहन की दैनिक लोगबुक वाहन के साथ रखी जायेगी जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणिकरण किया जायेगा।
4. प्रत्येक वाहन चालक वर्दी धारण करेगा। संवेदक समस्त वाहन चालकों को अपने स्तर पर वर्दी उपलब्ध करवायेगा।
5. ड्यूटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होंगे। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा रु 500/- प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली जायेगी। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
6. वाहनों के लिए ईंधन (डिजल/ऑयल) एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
7. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
8. वाहन चालक वाहनों के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैध लाइसेंसधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।
9. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व (वित्तीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 20 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 20 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर 1% (कुल बिल राशी का) शास्ती काटी जावेगी।
11. त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
12. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. एवं अन्य भत्ते निगम की ओर से देय नहीं होंगे।
13. सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, मशीन/वाहन चालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को चालक आदि का उपयुक्त बीमा/इन्शोरेन्स कराना होगा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन/वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, मशीन/वाहन चालक का लाइसेन्स व मशीन/वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and the word 'अक्षय'.

14 मशीन/वाहन और मशीन/वाहन चालकों का विवरण:-

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कायदेशि जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क.स.	मशीन/वाहन चालक का नाम व पता	वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैधता दिनांक
1			
2			
3			

वाहनों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध वाहनों का विवरण:-

क.स.	मशीन/वाहन मेक	हॉर्स पावर (BHP)	पंजीकृत वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन मॉडल वर्ष	वाहन मालिक का नाम

15 संवेदक द्वारा वाहन चालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगे। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

16 सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी वाहनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये बगैर एवं बिना निरीक्षण वाहन कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।

6 तकनिकी विवरण :-

- हायवा डम्पर की सम्पूर्ण इकाई Make TATA/Ashoka Lyland/Eicher या इसके समकक्ष ट्रक चैसिस पर माउण्टेड होनी चाहिये।
- हायवा (hyva tipper) डम्पर में काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा भरने हेतु हायवा के अनुसार उपयुक्त क्षमता का बैकहो लोडर/पौकलेण्ड मशीन लगाना होगा।
- उक्त समस्त वाहन तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में निगम अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
- 10 wheeler (hyva) डम्पर की क्षमता 16 Cum एवं 8.0 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा प्रतिट्रिप प्रतिवाहन परिवहन करना होगा। इससे कम कचरा लोड करने पर आनुपातिक रूप से शास्ती लगाई जायेगी।
- सभी वाहनों पर GPS लगा होना आवश्यक है।
- वाहनों के सभी स्पेयर पार्ट्स, उपसाधन, टायर ट्यूब, बैटरियों, डीजल, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट्स, पार्ट्स मरम्मत, चालक एवं वाहनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होंगे।
- यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी। पब्लिक केरियर के रूप में परिवहन परमिट पर वाहन के लिए दरें स्वीकार होगी।
- उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।

अच्छी

7. कार्य विधि :-

1. सामान्यतया मशीनों/वाहनों से काजरी ढेर का नियमित रूप से सम्पूर्ण सफाई कार्य (काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक का परिवहन कार्य) किया जायेगा। उक्त कार्य की समयावधि जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आपातकाल/आवश्यकता होने पर मशीनों/वाहनों को कार्य हेतु किसी भी समय काजरी ढेर पर उपलब्ध करवाने होंगे।
2. सफाई कार्य का निर्धारण निगम के अधिकृत अधिकारी करेंगे उसी अनुसार कार्य करना होगा।
3. सभी मशीनों/वाहनों पर GPS लगा होना आवश्यक है।
4. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
5. मशीनों/वाहनों पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित तथा स्वच्छ भारत मिशन की पट्टी/प्लेट लगानी होगी। प्लेट का दुरुपयोग होने पर रुपये 500/- प्रतिवाहन प्रतिदिन शास्ती काटी जायेगी।

8. कार्य प्रमाणन एवं भुगतान

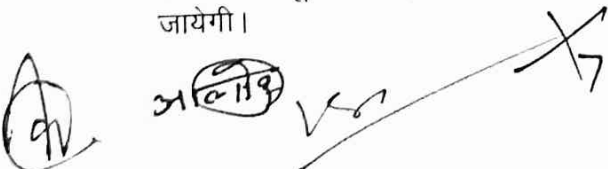
1. निविदादाता लॉग बुक को भरे जाने एवं उपयोगकर्ता अधिकारी/मुख्य सफाई निरीक्षक से प्रमाणित कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।
2. प्रत्येक माह का बिल उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा लॉग बुक में हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त GPS रिपोर्ट के साथ गैराज प्रभारी को आगामी 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
3. वित्तीय प्रस्ताव में निविदादाता द्वारा काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा अपने स्वयं के संसाधन से भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक परिवहन कार्य के प्रति ट्रिप की दर प्रस्तुत करनी होगी।
4. प्रत्येक माह के बिल का भुगतान काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा/मलबा अपने स्वयं के संसाधन से भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक परिवहन कार्य के कुल ट्रिप का प्रमाणीकरण GPS रिपोर्ट व कैरू रिपोर्ट के परस्पर मिलान आधार पर किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर ढेर रिपोर्ट भी प्रमाणीकरण का आधार होगी।
5. कार्य के दौरान वाहन खराब होने पर संवेदक को इसके स्थान पर दूसरे हायवा डम्पर की व्यवस्था करनी होगी अथवा ढेर पर लगे हुए दूसरे हायवा डम्पर्स से अतिरिक्त ट्रिप करवाकर ढेर की सम्पूर्ण सफाई करनी होगी।
6. संवेदक द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान (लागू होने पर) की राशि सम्बंधित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण वाहन से ढेर या सार्वजनिक स्थल पर हुई टूट फूट के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुर्घटना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह की टूट-फूट होने पर संवेदक को दुसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

10. निगम शक्तियाँ एवं शास्तियाँ :-

1. संवेदक को नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में काजरी स्थित डंपिंग स्टेशन (काजरी ढेर) की नियमित रूप से प्रतिदिन की सम्पूर्ण सफाई करनी होगी। किसी भी दिन शाम को 7.00 बजे तक ढेर की सम्पूर्ण सफाई नहीं होने पर 3000 रुपये प्रति दिन की राशि पेनल्टी के रूप में काटी जायेगी।



2. प्रत्येक वाहन का बिल अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर 20 से 30/31 तारीख तक कुल बिल राशि का 1 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जायेगी एवं फर्म को अपने letter Head पर आयुक्त महोदय का Approval प्राप्त कर बिल गैरेज शाखा को प्रस्तुत करने होंगे।
3. अगले महीने की लोग बुक 25-30/31 तारीख तक गैरेज प्रगारी से हस्ताक्षर करवाकर जारी करवानी होगी। समय पर लोग बुक जारी नहीं करवाने से हुई अनियमितता के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
4. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान निगम अधिकारी किसी भी समय मशीनों/वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
5. कचरा परिवहन के दौरान हायवा डम्पर के पीछे का डाला बन्द रखना होगा अन्यथा प्रति घटना प्रतिवाहन 500/- रुपये शास्ती काटी जायेगी।
6. वाहन पर त्रिपाल से ढककर कचरा परिवहन करना होगा अन्यथा प्रति घटना प्रतिवाहन 1000/- रुपये शास्ती काटी जायेगी।
7. 10 wheeler (hyva) डम्पर द्वारा कम से कम 8.0 टन प्रतिट्रिप प्रतिवाहन कचरा/मलबा कैरू डंपिंग स्टेशन तक परिवहन करना होगा। प्रतिट्रिप प्रतिवाहन इससे कम कचरा/मलबा परिवहन करने पर प्रतिट्रिप के किराये के अनुसार आनुपातिक कटौती की जायेगी। वजन हेतु प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. काजरी ढेर की नियमित रूप से सम्पूर्ण सफाई कार्य (काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट/ कचरा/मलबा भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक का परिवहन कार्य) के लिए आवश्यकतानुसार मशीन/वाहन ढेर पर उपलब्ध करवाने होंगे। काजरी ढेर की नियमित रूप से सम्पूर्ण सफाई कार्य की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। आपातकाल/आवश्यकता होने पर अतिरिक्त संसाधन लगाकर सफाई कार्य करना होगा।
9. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

11. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 उपरोक्त संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व रील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।



हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर





कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

वित्तीय प्रस्ताव

कार्य का नाम:— नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से नगर निगम के डंपिंग स्टेशन (काजरी ढेर) की नियमित रूप से प्रतिदिन की सम्पूर्ण सफाई के कार्य हेतु दो वर्ष के लिए निविदा।

क.स.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करों सहित)
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में काजरी परिसर के पास स्थित नगर निगम के डंपिंग स्टेशन (काजरी ढेर) की मशीनों/वाहनों से नियमित रूप से सम्पूर्ण सफाई कार्य। (काजरी ढेर से नगरीय ठोस अपशिष्ट / कचरा / मलबा भरकर कैरू डंपिंग स्टेशन तक का परिवहन कार्य) मय मशीन/वाहन, मशीन ऑपरेटर/ वाहन चालक, रखरखाव, संचालन, POL एवं समस्त कर सहित।	 रुपये प्रतिट्रिप, प्रति वाहन

1. दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होंगे।
2. संवेदक इस कार्य हेतु अपनी दर ऑनलाईन अपलोड किये गये वित्तीय प्रस्ताव (BOQ) में ही प्रस्तुत करेंगे।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर



कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
:: अण्डर-टेकिंग ::

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य हैं, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्वोरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैधता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेंगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि स्वयं के नाम बैकहो लोडर/पौकलेण्ड मशीन/हायवा डम्पर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकतानुसार संसाधनों की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से संसाधन लेकर उपलब्ध कराकर कार्य करेंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिव्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर मय सील





Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to [Enter designation and address of the procuring entity] for procurement of [Insert name of the Works] in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

अभिषेक